न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 88/2020

अनवान : –

1. रामप्रताप पुत्र तेजाराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. दीपचन्द पुत्र खुमाणाराम जाति मेघवाल निवासी ललानिया तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **सायल**
2. श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांक: 07/11/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ललानिया तहसील नोहर के खाता स0 169/79 की कुल 23.6680 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि सायल के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि ग्राम ललानिया के समीप है। ग्राम ललानिया से खरसण्डी का रास्ता सायल के खेत के पास से गुजरता है तथा ख0न0 179 में ग्राम ललानिया की तरफ गैरसायल स0 1 ने अतिक्रमण करके कंटिली बाड़ व झोपड़ी बना ली है जबकि उक्त भूमि सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 6 की खातेदारी भूमि है। गैरसायल संख्या 1 सायल की भूमि पर काबिज होकर पक्का निर्माण करने पर आमादा है। गैरसायल संख्या 1 अगर अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो अपूर्णीय क्षति सायल को होगी। अतः गैरसायल स0 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की रोही मौजा ललानिया के ख0न0 179 की 4.5410 हैक्ट भूमि में सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 6 की कब्ज काश्त में दखल अंदाजी न करे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा ललानिया तहसील नोहर के ख0न0 179 की 4.510 हैक्ट भूमि मे अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थी स0 1 सायल की भूमि की सीवं को ना तोड़े व यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की तरफ से श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता उपस्थिति। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश नही करने के कारण जवाब बंद किया गया।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया की उक्त वाद भूमि ग्राम ललानिया के समीप है। ग्राम ललानिया से खरसण्डी का रास्ता सायल के खेत के पास से गुजरता है तथा ख0न0 179 में ग्राम ललानिया की तरफ गैरसायल स0 1 ने अतिक्रमण करके कंटिली बाड़ व झोपड़ी बना ली है जबकि उक्त भूमि सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 6 की खातेदारी भूमि है। गैरसायल संख्या 1 सायल की भूमि पर काबिज होकर पक्का निर्माण करने पर आमादा है। गैरसायल संख्या 1 अगर अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो अपूर्णीय क्षति सायल को होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.08 17:54:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया की अप्रार्थी संख्या 1 ने सायल की भूमि में कब्जा नही किया है एवं न ही निर्माण करना चाहता है इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमावे।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत अधिकारी मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललानिया तहसील नोहर के खाता स0 169/79 की कुल 23.6680 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि सायल के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त वाद भूमि ग्राम ललानिया के समीप है। ग्राम ललानिया से खरसण्डी का रास्ता सायल के खेत के पास से गुजरता है तथा ख0न0 179 में ग्राम ललानिया की तरफ गैरसायल स0 1 ने अतिक्रमण करके कंटिली बाड़ व झोपड़ी बना ली है जबकि उक्त भूमि सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 6 की खातेदारी भूमि है। अधिवक्ता अप्रार्थी का कथन है कि मेरे द्वारा कोई निर्माण नही किया जा रहा है उक्त तथ्यों के मध्यनजर अप्रार्थी को पाबन्द किया जाना न्यायोचित है क्योंकि अगर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के खातेदारी भूमि में काबिज होकर निर्माण किया जा रहा है तो अपूर्णीक्ष क्षति प्राथी को होगी क्योंकि प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। जब प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित हो गया है तो अपूर्णीय क्षति व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। अतः प्रार्थी की भूमि की सीवं डोल न तोड़ने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 को पाबंद किया जाना न्यायोचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मौजा ललानिया के ख0न0 179 की 4.5410 हैक्ट भूमि में सायल की भूमि की ताफैसला वाद के निस्तारण तक अप्रार्थी संख्या 1 सींव को न तोड़े व यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 07/11/24 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.08 17:54:48 IST
Reason: SelfAttested